न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2019/00426

नन्दलाल आयु 59 वर्ष आत्मज श्री हीरा जाति मेघवाल निवासी ग्राम नमाना तहसील एवं जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. मोती आयु 74 वर्ष आत्मज श्री हीरा जाति मेघवाल निवासी ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्रीमती देव बाई आयु 47 वर्ष पत्नी श्री बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम जलोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/2. श्रीमती किशना बाई आयु 34 वर्ष पत्नी श्री सुरेश जाति मेघवाल निवासी ग्राम गुढा तुरकडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. देवराज आयु 44 वर्ष आत्मज श्री बृजगोपाल जाति स्वर्णकार निवासी ग्राम नमाना तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी ।
4. श्रीमती सुरेन्द्र कौर आयु 44 वर्ष पत्नी श्री दिलीप सिंह जाति मजहबी सिख निवासी ढोला की झौपडियॉ पंचायत कालपुरिया तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. रामदेव राठौर आयु 59 वर्ष
6. रामनिवास राठौर आयु 49 वर्ष पिसरान श्री प्रभूलाल जाति तेली निवासी ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री तेजसिंह गौड, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री हनुमान बैरागी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 23.10.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2019 के विरूद्व पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 183 एवं 188 का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नमाना में पुराने खसरा नम्बर 1595/86 रकबा 04 बीघा 17 बिस्वा,

खसरा नम्बर 1618/386 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 01 के पिता हीरा आत्मज उदा मेघवाल निवासी नमाना द्वारा पडत से फाडकर आबाद की थी जिसको बाद राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार आवंटित किया जाकर इंतकाल हीरा जी के नाम दर्ज किया गया । वर्तमान समय में वादग्रस्त आराजी का प्रतिवादी क्रम 01 खातेदार कृषक के रूप में दर्ज चला आ रहा है । वादी एवं प्रतिवादी क्रम 01 के पिता हीरा का देहान्त 27 वर्ष पूर्व हो चुका है । उनकी मृत्यु उपरान्त प्रतिवादी क्रम 01 ने वादी की नासमझी का फायदा उठाकर राजस्व कर्मचारियों से मिलकर उक्त भूमि अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवा ली । वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादी क्रम 02 अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होकर रामचन्द्र आत्मज गोपी जाति मीणा निवासी कंवरपुरा का टापरा मजरा नमाना को आधौली में काश्त करवा रहा है । प्रतिवादी क्रम 02 को वादग्रस्त आराजी पर काबिज होकर काश्त कराते रहने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वादग्रस्त आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार की हैसियत से अपना नाम दर्ज करावे तथा उक्त भूमि में अपने 1/2 हिस्से का विभाजन करवाकर मौके पर काबिज होकर प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 को बेदखल करवाये । दौराने दावा वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर होते हुए प्रतिवादी क्रम 01 ने सम्पूर्ण आराजी कागजी तौर पर श्रीमती सुरेन्द्र कौर प्रतिवादी क्रम 04 को विक्रय कर दी तथा विक्रय विलेख पंजीयन दिनांक 15.06.2006 को उप पंजीयक बून्दी के यहॉ करा दिया जिसके बाद वादग्रस्त आराजी श्रीमती सुरेन्द्र कौर से रामदेव राठौड प्रतिवादी क्रम 05, रामनिवास प्रतिवादी क्रम 6 ने दुरभि संधि कर क्रय कर ली तथा विक्रय विलेख को नोटेरी करा लिया अभी मौके पर वास्तविक क्रेता प्रतिवादीगण क्रम 5 लगायत 6 तथा प्रतिवादी क्रम 04 का कब्जा काश्त है । उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख तथा नोटेरी तस्दीकशुदा विकय्र विलेख शून्य प्रभावी है जिनको निरस्त कराने का वादी को अधिकार प्राप्त है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी के 1/2 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की अधिकार घोषणा की जाकर वादग्रस्त आराजी का विभाजन करके वादी का हिस्सा 1/2 पृथक खाते में दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 04 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से विलोपित किया जावे तथा प्रतिवादी क्रम 4 लगायत 6 को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर वादी के हिस्सा 1/2 का कब्जा भूमि प्रतिवादीगण क्रम 4 लगायत 6 से वादी को दिलाया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के 1/2 हिस्से की आराजी पर उनके कब्जा काश्त में किसी प्रकार से दखल नही करें तथा प्रतिवादीगण क्रम 4 लगायत 6 उक्त भूमि को किसी अन्य को रहन, बेचान नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2019 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2019 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि वादी ने

अधीनस्थ न्यायालय में गवाहों के बयानों एवं साक्ष्य से साबित कर दिया था कि वादग्रस्त आराजी वादी अपीलान्ट एवं प्रतिवादी क्रम 1 के पिता की खातेदारी की भूमि थी । वादी अपीलान्ट का वादग्रस्त आराजी में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार 1/2 हिस्सा है । वादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादी क्रम 4 लगायत 6 का अतिक्रमी की हैसियत से कब्जा काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 01 को गलत रूप से निर्णित किया है । इंतकाल संख्या 06 दिनांक 21.06.2006 के विरूद्ध वादी ने प्रतिवादी क्रम 1 व 4 के विरूद्ध जिलाधीश बून्दी के यहॉ अपील संख्या 10/2007 पेश की थी जिसे आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर भूमि को आगे बेचान न हो इसलिए नामान्तरकरण के तहत की जाने वाली कार्यवाही को तुरन्त प्रभाव से स्टे करने का आदेश पारित किया । प्रतिवादी क्रम 4 श्रीमती सुरेन्द्र कौर ने उक्त वाद में विचारण के दौरान स्वयं पेश होकर अपनी साक्ष्य नहीं करवायी है तथा उन्होंने अपनी ओर से किसी दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्शित नहीं करवाया है । वादी अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी में अपने 1/2 हिस्से की घोषणा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपने सगे भाई से चाही है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात का गलत रूप से विवेचन कर निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी और प्रतिवादी के पिता हीरालाल के खाते में दर्ज थी । प्रतिवादी क्रम 1 मोती ने सम्पूर्ण आराजी का नामान्तरकरण अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया । इंतकाल दिनांक 12.01.1983 की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 24.11.2001 को हुई इस इंतकाल की पृथक से अपील करने की आवश्यकता नहीं थी । वादी ने हक घोषणा का दावा पेश किया है । सन् 2006 में प्रतिवादी क्रम 01 ने वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 04 सुरेन्द्र कौर को बेचान की । सुरेन्द्र कौर के नाम विक्रय पत्र अंकित किया गया जबकि विक्रय प्रतिवादी क्रम 5 और 6को किया गया और कब्जा भी उनको ही संभलाया गया था । सुरेन्द्र कौर का मौके पर कब्जा नहीं है । सुरेन्द्र कौर की साक्ष्य भी नहीं करवायी गई है । बेनामी विक्रय किया गया है प्रतिवादी संख्या 5 रामदेव की डीडब्ल्यू–1 के रूप में साक्ष्य करवायी गई है । डीडब्ल्यू–3 ने जिरह में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी रामदेव तेली ने क्रय की है । वादी का वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा उसके सगे भाई के साथ था । वादी 1/2 हिस्से का सहखातेदार था और सहखातेदार का प्रत्येक इंच आराजी पर कब्जा माना जाता है । इस कारण अधीनस्थ न्यायाल की यह अवधारणा है कि दावे में कब्जा प्राप्त करने की अवधि समाप्त हो चुकी है त्रुटिपूर्ण है । सन् 2006 में वादग्रस्त आराजी सुरेन्द्र कौर को बेचान की गई है और उस पर रामदेव का कब्जा है जिसको बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का वादी अधिकारी है । सुरेन्द्र कौर के पक्ष में मोती ने जो विक्रय पत्र लिखा है वह उनके हिस्से की सीमा तक ही वैध है और वादी के हिस्से के लिए प्रभावशून्य है । वादी कभी भी अपने काका के गोद नहीं किया गया था । गोद के प्रश्न को तय करने का क्षेत्राधिकार भी राजस्व न्यायालय को नहीं है । मोती के कायमुकामान ने इकबालिया जवाबदावा पेश किया है । प्रतिवादी के गवाह कालूलाल ने सुरेन्द्र कौर को पुरूष बताया है जबकि वह महिला है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट

स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1977 पेज 95, आरआरडी 1994 पेज 499, आरआरडी 1993 पेज 775, आरआरडी 2008 पेज 01, आरआरडी 1994 पेज 129, आरआरडी 2010 पेज 748 उद्वरत की ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि सन् 1983 में नामान्तरकरण मोती के पक्ष में खोला गया था तब से वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा नहीं है । वादी ने दावा सन् 2002 में पेश किया है । कब्जा प्राप्त करने की अवधि 12 वर्ष होती है वादी की कब्जा प्राप्त करने की मियाद समाप्त हो चुकी है और जब कब्जा प्राप्त करने की अवधि समाप्त हो चुकी है तो हक घोषणा की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती । सन् 2006 से वादग्रस्त आराजी के खातेदार सुरेन्द्र कौर हैं जिन्होंने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादग्रस्त आराजी क्रय की है और 2006 से काबिज हैं । इस विक्रय पत्र को निरस्त करवाने के लिए वादी को सिविल न्यायालय में दावा करना चाहिए था । सन् 1983 में जो इंतकाल मोती के पक्ष में खोला गया था उसके कोई अपील वादी ने नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से दावा वादी डिक्री किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2019 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में असल निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र प्रदर्श– 1 संलग्न है, असल परिवार राशन कार्ड प्रदर्श–2, विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– 3 संलग्न है जो मोती लाल के द्वारा दिनांक 15.06.2006 को निष्पादित किया गया है । नकल जमाबन्दी संवत् 2028–40 प्रदर्श–4, नकल नामान्तरकरण संख्या 384 प्रदर्श– 5 संलग्न है जिसमें हीरा की मृत्यु हो जाने पर वादग्रस्त आराजी मोती के खाते में दर्ज की गई है । नकल नामान्तरकरण संख्या 1232 प्रदर्श– 6 संलग्न है जिसके अनुसार मोती के द्वारा विक्रय के आधार पर वादग्रस्त आराजी सुरेन्द्र कौर के खाते में दर्ज की गई है । ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रदर्श–7, नकल जमाबन्दी संवत् 2021–24 प्रदर्श–8 एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2056–59 प्रदर्श– 9 संलग्न हैं ।

11. प्रतिवादी की ओर से दस्तावेजात में जिला कलक्टर बून्दी के निर्णय दिनांक 26.03.2007 के निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– ए–1 पेश की गई है ।

12. वादी की ओर से बयान नन्दलाल पीडब्ल्यू–1, गोपाल सिंह पीडब्ल्यू–2, मोडू, खाना के कराये गये हैं । मोडू व खाना के बयानों में पीडब्ल्यू नम्बर अंकित नहीं किये गये हैं ।

13. प्रतिवादी की ओर से बयान रामदेव डीडब्ल्यू– 1, चौथमल एवं कालूलाल कराये गये हैं । चौथमल एवं कालूलाल के बयानों में डीडब्ल्यू नम्बर अंकित नहहीं किये गये हैं ।

14. अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की हैं जिन पर संक्षिप्त में विवेचन किया जाना हम उचित समझते हैं :–

1. तनकी नं0 01 :– **आया विवादित भूमि के मूल खातेदार वादी एवं प्रतिवादी के पिता हीरा आत्मज उद्धा मेघवाल थे जिनकी मृत्यु होने पर प्रतिवादी संख्या 01 ने विवादित भूमि स्वयं के खाते दर्ज करा ली जबकि विवादित भूमि में वादी के हिस्सा 1/2 का खातेदारी स्वामित्व एवं आधिपत्य है इसलिये वादी हिस्सा 1/2 में खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं बंटवारा कराने के अधिकारी है**:– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न नकल जमाबन्दी संवत् 2028–40 प्रदर्श–4 के अनुसार वादग्रस्त आराजी हीरा के खाते में दर्ज है । नकल नामान्तरकरण संख्या 383 प्रदर्श– 5 के अनुसार हीरा की मृत्यु हो जाने पर वादग्रस्त आराजी मोती प्रतिवादी संख्या 01 के खतो में दर्ज की गई है । नकल जमाबन्दी संवत् 2021–24 प्रदर्श–8 में आराजी हीरा के खाते में दर्ज थी और प्रदर्श– 9 में आराजी मोती के खातेदारी में दर्ज है । इस प्रकार पत्रावली पर जो राजस्व रिकॉर्ड संलग्न है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी हीरा के खाते में दर्ज थी और उनकी मृत्यु के बाद सम्पूर्ण आराजी मोती लाल के खाते में दर्ज की गई है जबकि वादी नन्दलाल हीरा का पुत्र है । इस तथ्य की ताईद वादी के द्वारा पेश किये भारत निर्चाचन आयोग के पहचान पत्र प्रदर्श–1 और परिवार राशन कार्ड प्रदर्श– 2 से होती है । वादी हीरा का पुत्र होने के नाते वादग्रस्त आराजी 1/2 हिस्से का सहखातेदार दर्ज होने का अधिकारी है । तद्नुसार यह तनकी वादी के पक्ष में तय की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को वादी के खिलाफ तय करने में विधिक त्रुटि की है ।

2. तनकी नं0 02 :– **आया दौराने दावा विवादित भूमि को प्रतिवादी कम 01 ने प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में रजिस्टर्ड विकय कर दी तथा विवादित भूमि उसके बाद प्रतिवादी संख्या 4 ने प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 6 को विकय कर विकय विलेख नोटेरी तस्दीक करा लिया तथा विवादित भूमि में प्रतिवादीगण कम 4 लगायत 6 दिनांक 05.06.2006 से अतिकमी की हैसियत से काबिज होने से वादी प्रतिवादीगण कम 4 लगायत 6 को बेदखल कराने विकय विलेख निरस्त कराने का अधिकारी है** :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है । पत्रावली पर संलग्न नकल नामान्तरकरण संख्या 1232 प्रदर्श–6 के अनुसार वादग्रस्त आराजी विकय पत्र के आधार पर सन् 2006 में प्रतिवादी संख्या 4 के खाते में दर्ज की गई है । जहॉ तक प्रतिवादी कम 04 के द्वारा प्रतिवादी कम 05 और 6 को विकय करने का प्रश्न है यह विकय किसी वैध दस्तावेज के अभाव में प्रमाणित नहीं है । वादग्रस्त आराजी पर सन् 2006 के विकय के आधार पर प्रतिवादीगण काबिज है । प्रतिवादी जिन्होंने विकय विलेख का निष्पादन किया है उनका वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्सा ही निहित था । तद्नुसार उनके द्वारा लिखा गया विलेख पत्र उनके हिस्से 1/2 सीमा तक के लिए ही वैध है । इस विकय पत्र के आधार पर प्रतिवादी 1/2 हिस्सा पर ही कब्जा करने के अधिकारी हैं । वादी अपने 1/2 का कब्जा प्रतिवादीगण को बेदखल कर प्रापत करने का अधिकारी है । तद्नुसार यह तनकी आंशिक रूप से वादी के पक्ष में तय पायी जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को वादी के खिलाफ तय करने में त्रुटि की है ।

3. तनकी नं0 03 :– **आया वादी पक्षकारान के काका मोडू के गोद चला गया था इसलिए वादी का विवादित भूमि में स्वत्व नहीं रहा है**:– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर है । प्रतिवादी ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है । किसी की मृत्यु पर पगडी बांधने अथवा उनकी सेवा करने के आधार पर गोद प्रमाणित नहीं होता है । गोद को प्रमाणित करने के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक

होता है कि गिव एण्ड सेरेमनी हुई थी । वैसे भी गोद के प्रश्न को तय करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है । प्रतिवादी गोद को प्रमाणित करने में सफल नहीं हुए हैं । तद्नुसार यह तनकी प्रतिवादी के खिलाफ तय पायी जाती है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से इस तनकी को प्रतिवादी के विरूद्ध तय किया है ।

4. तनकी नं0 04 :– **आया विवादित भूमि में वादी का कब्जा नहीं होने से वादी को खातेदारी का दावा लाने का अधिकार नहीं है** :– इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर है । वादग्रस्त आराजी हीरा की मृत्यु के बाद सन् 1983 में मोती के तन्हा खाते में दर्ज हुई थी जबकि हीरा का पुत्र होने के वादग्रस्त आराजी में वादी 1/2 हिस्से का सहखातेदार दर्ज होने का अधिकारी था । प्रतिवादी के द्वारा सन् 2006 में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 4 को विक्रय की गई है और कब्जा संभलाया गया है । सन् 2006 तक वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जे में थी और इसमें वादी को सहखातेदार दर्ज होने का अधिकार था । एक सहखातेदार का दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध प्रतिकूल कब्जा नहीं होता है । ऐसी स्थिति में सन् 2006 तक वादी के 1/2 हिस्से पर मोती का कब्जा है वो वादी की ओर से ही माना जावेगा । आरआरडी 2008 पेज 01 और आरआरडी 2010 पेज 748 यहॉ चस्पा होती हैं । आरआरडी 2010 पेज 748 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि एक सहखातेदार का कब्जा समस्त सहखातेदारों की ओर से माना जावेगा । सन् 2006 में वादग्रस्त आराजी मोती के द्वारा प्रतिवादी संख्या 04 को विक्रय की गई है और पत्रावली पर जो मौखिक साक्ष्य आई उसके अनुसार रामदेव डीडब्ल्यू–1 का यह कथन है कि वो सुरेन्द्र कौर की सहमति से काश्त कर रहे हैं और यह भी कथन किया है कि उन्होंने मोती को ही वादग्रस्त आराजी पर स्वयं से पहले काश्त करते देखा है । इस प्रकार प्रतिवादी डीडब्ल्यू–1 के बयानों के अनुसार वादग्रस्त आराजी विक्रय से पूर्व मोती के कब्जे में थी और सुरेन्द्र कौर को विक्रय करने के उपरान्त सुरेन्द्र कौर की सहमति से काश्त कर रहे हैं । तद्नुसार सन् 2006 से वादग्रस्त आराजी सुरेन्द्र कौर की सहमति से प्रतिवादी 5 रामदेव काश्त कर रहे हैं और इससे पूर्व प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा था । दावा सन् 2002 में विक्रय से पूर्व पेश किया गया था । जब सन् 2002 में दावा पेश किया गया था तब वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 01 मोती के खाते में थी और वादी उनके सगे भाई होने के नाते उसमें सहखातेदार दर्ज होने के अधिकारी थे और एक सहखातेदाार का कब्जा दूसरे सहखातेदार के विरूद्ध प्रतिकूल नहीं होता है । तद्नुसार वादी वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से का कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को प्रतिवादी के पक्ष में तय करने में त्रुटि की है । ।

15. इन समस्त तथ्यों के आधार पर तनकी नम्बर 01 वादी के पक्ष में तय पायी गई है । तनकी नं0 02 आंशिक रूप से वादी के पक्ष में तय पायी जाती है । तनकी नम्बर 3 व 4 प्रतिवादी के खिलाफ तय पायी जाती हैं । प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा प्रतिवादी कम 4 के पक्ष में जो विक्रय विलेख लिखा गया है वह उनके 1/2 हिस्से की सीमा तक के लिए ही वैध होगा । तद्नुसार दावा वादी डिकी होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज करने में विधिक त्रुटि की है ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2019 निरस्त किया जाता है । वादी अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम नमाना खसरा नम्बर 431 रकबा 08 बीघा में 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है । प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से से बेदखल कर कब्जा वादी का संभलाया जावे । पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की जाती है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसीलदार बून्दी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर नियमानुसार विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.11.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. निर्णय आज दिनांक 23.10.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23.10.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2019/000426

नन्दलाल आयु 59 वर्ष आत्मज श्री हीरा जाति मेघवाल निवासी ग्राम नमाना तहसील एवं जिला बून्दी ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. मोती आयु 74 वर्ष आत्मज श्री हीरा जाति मेघवाल निवासी ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. श्रीमती देव बाई आयु 47 वर्ष पत्नी श्री बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम जलोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   1/2. श्रीमती किशना बाई आयु 34 वर्ष पत्नी श्री सुरेश जाति मेघवाल निवासी ग्राम गुढा तुरकडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. देवराज आयु 44 वर्ष आत्मज श्री बृजगोपाल जाति स्वर्णकार निवासी ग्राम नमाना तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी ।
4. श्रीमती सुरेन्द्र कौर आयु 44 वर्ष पत्नी श्री दिलीप सिंह जाति मजहबी सिख निवासी ढोला की झौपडियॉ पंचायत कालपुरिया तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. रामदेव राठौर आयु 59 वर्ष
6. रामनिवास राठौर आयु 49 वर्ष पिसरान श्री प्रभूलाल जाति तेली निवासी ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2019 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी ।

संख्याः 421/दावा/2016

नन्दलाल आयु 59 वर्ष आत्मज श्री हीरा जाति मेघवाल निवासी ग्राम नमाना तहसील एवं जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

1. मोती आयु 74 वर्ष आत्मज श्री हीरा जाति मेघवाल निवासी ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   - 1/1. श्रीमती देव बाई आयु 47 वर्ष पत्नी श्री बाबूलाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम जलोदा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
   - 1/2. श्रीमती किशना बाई आयु 34 वर्ष पत्नी श्री सुरेश जाति मेघवाल निवासी ग्राम गुढा तुरकडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. देवराज आयु 44 वर्ष आत्मज श्री बृजगोपाल जाति स्वर्णकार निवासी ग्राम नमाना तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी ।
4. श्रीमती सुरेन्द्र कौर आयु 44 वर्ष पत्नी श्री दिलीप सिंह जाति मजहबी सिख निवासी ढोला की झौपडियॉ पंचायत कालपुरिया तहसील एवं जिला बून्दी ।
5. रामदेव राठौर आयु 59 वर्ष
6. रामनिवास राठौर आयु 49 वर्ष पिसरान श्री प्रभूलाल जाति तेली निवासी ग्राम नमाना तहसील व जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2019 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 23.10.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री तेज सिंह गौड एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री हनुमान बैरागी के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.10.2019 निरस्त किया जाता है । वादी अपीलान्ट को वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम नमाना खसरा नम्बर 431 रकबा 08 बीघा में 1/2 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जाता है । प्रतिवादीगण को

वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से से बेदखल कर कब्जा वादी का संभलाया जावे । पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की जाती है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रारम्भिक डिक्री की अनुपालना में राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तहसीलदार बून्दी से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर नियमानुसार विभाजन की अंतिम डिक्री पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 27.11.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 23.10.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

23.10.2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा